2024-25

नागरिक चार्टर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यम मंत्रालय

नागरिक चार्टर

2024-25

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यम मंत्रालय

पताः

उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011

वेबसाइट आईडीः

https://msme.gov.in/

जारी करने की तिथिः

नवंबर, 2024

आगामी समीक्षाः

नवंबर, 2025

विषय सूची

भाग	मद/विषय	पृष्ठ सं.
1	परिचय	5
2	परिकल्पना	6
3	कार्य/क्रियाकलाप (व्यवसाय नियमों का आवंटन)	6–9
4	नागरिकों के लिए मुख्य सेवाएँ	10–16
5	प्रभाग–वार कार्य आवंटन	17–25
6	(I) शिकायत एवं आरटीआई तंत्र	25
	(II) लोक शिकायत निवारण (विषय विशेष)	25–27

नागरिक चार्टर

1. परिचयः

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके तथा बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय), मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करके, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करके मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खादी, ग्राम और कयर उद्योग सहित क्षेत्र के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है।

1.3 एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। इनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) शामिल हैं।

1.4 एमएसएमई के संवर्धन और विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार, उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदलते आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

2. परिकल्पना:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है।

3. कार्य/क्रियाकलाप (व्यवसाय नियमों का आवंटन)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय[1]

भाग – I

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के विषय:

1. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन वे उद्योग, जिनका विकास और विनियमन संघ द्वारा किया जाना है, जिन्हें लोकहित में संसद द्वारा समीचीन घोषित किया गया है, जहां तक उनका संबंध क्रमशः लघु औद्योगिक उपक्रमों और सहायक औद्योगिक उपक्रमों से और, यथास्थिति, उक्त अधिनियमों में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से है।

भाग – II

2. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, ऊपर भाग 1 में उल्लिखित विषय जहां तक वे इन क्षेत्रों के संबंध में विद्यमान हैं।

भाग – III : सामान्य और परिणामी

3. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सभी उपायों के समन्वय और उनसे संबंधित नीति और नीतिगत के सभी मामले।

4. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड।

5. सहकारी चीनी कारखानों को छोड़कर कुटीर, खादी, ग्राम और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग।

---

[1]संशोधन श्रृंखला संख्या 243 दिनांक 15.10.1999, 256 दिनांक 06.09.2001 और 289 दिनांक 09.05.2007 द्वारा संशोधित

6. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं की खरीद के लिए वरीयता नीतियों से संबंधित सभी मामले।

7. कुटीर, खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग से संबंधित सभी मामले।

7. क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्रीय मुद्दे, ऐसे क्षेत्र जो किसी विशिष्ट विभाग को आवंटित नहीं हैं।[2]

7. ख. स्वाद और सुगंध का विकास.[3]

भाग – IV : संबद्ध कार्यालय

8. लघु उद्योग विकास संगठन (एसआईडीओ) और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, जिसमें लघु उद्योग विकास संगठन की क्षेत्रीय इकाइयां जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र और फील्ड परीक्षण स्टेशन, लघु उद्यमी संवर्धन और प्रशिक्षण संस्थान (एसईपीटीआइ) आदि शामिल हैं।

भाग – V : संवैधानिक एवं स्वायत्त निकाय और प्रशिक्षण संस्थान

9. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुंबई।
10. कयर बोर्ड (सीबी), कोच्चि।
11. लघु उद्योग विकास संगठन के माध्यम से टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए गए।
12. उद्यमिता विकास और कौशल विकास या प्रशिक्षण संस्थानः

    (i) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी), हैदराबाद।

    (ii) छोड़ा गया।[4]

    (iii) छोड़ा गया।[5]

    (iv) केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा।

---

[2]संशोधन श्रृंखला संख्या 334 दिनांक 06.07.2017 द्वारा सम्मिलित
[3]संशोधन श्रृंखला संख्या 334 दिनांक 06.07.2017 द्वारा सम्मिलित
[4]संशोधन श्रृंखला संख्या 314 दिनांक 2.5.2015 द्वारा हटाया गया
[5]संशोधन श्रृंखला संख्या 314 दिनांक 2.5.2015 द्वारा हटाया गया

(v) केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई।

(vi) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी प्रशिक्षण संस्थान।

(vii) कयर बोर्ड के सभी प्रशिक्षण संस्थान

13. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट।

14. अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिनमें शामिल हैंः–

(i) विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर।

(iii) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा।

(iv) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ।

(v) सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज।

(vi) कांच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद।

(vii) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा।

15. असंगठित क्षेत्र सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बनाया गया कोई अन्य संवैधानिक निकाय या संस्थान।

भाग – VI : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

16. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली।

भाग – VII : पुरस्कार और प्रदर्शनियाँ

17. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

18. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

19. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योग सहित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

20. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, क्रेता—विक्रेता बैठकें और इसी प्रकार के कार्यक्रम।

भाग — VIII : अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रबंधन

21. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) तथा उसके अंतर्गत नियम और विनियम।

22. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख, जहां तक इसके उपबंध लघु औद्योगिक उपक्रमों और सहायक औद्योगिक उपक्रमों तथा उसके अधीन नियमों और विनियमों से संबंधित हैं।

23. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) तथा उसके अधीन नियम और विनियम।

24. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) तथा उसके अधीन नियम और विनियम।

भाग — VIII : विविध

25. राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के साथ खादी, कुटीर, ग्राम और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के माध्यम से औद्योगीकरण और रोजगार सृजन से संबंधित प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा इसी प्रकार की स्कीमों या कार्यक्रमों का समन्वय और कार्यान्वयन, तथा ऐसे उद्यमों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

26. खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों से संबंधित सभी अन्य मामले, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विशिष्ट रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अनुरूप मंत्रालय के अधीन मौजूद गैर—सांविधिक संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थाओं का नामकरण।

4. प्रभाग–वार कार्य आवंटन

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
(i)	लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग	सुश्री मर्सी एपाओ संयुक्त सचिव (एसएमई) ई–मेलः js.sme@nic.in टेलीफोन : 23061543	एसएमई प्रभाग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण संगठन के समग्र प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य करता है। यह प्रभाग राष्ट्रीय एससीध्एसटी हब स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम और प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा, एसएमई प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से स्कीमों के प्रचार और इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी का कार्य भी करता है। https://msme.gov.in
(ii)	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग	श्री विपुल गोयल संयुक्त सचिव (एआरआई) ई–मेलः js.ari@nic.in टेलीफोन : 011–23063283	एआरआई प्रभाग दो संवैधानिक निकायों – खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) के प्रशासन कार्य से संबंधित है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी कार्य करता है। https://msme.gov.in

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/ संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
(iii)	सामान्य प्रशासन एवं वित्तीय संस्थान (एएफआई) प्रभाग	श्री अतीश कुमार सिंह संयुक्त सचिव (एएफआई) js.afi-msme@gov.in ज्मसरू 011. 23062081	एएफआई प्रभाग को मंत्रालय के सामान्य प्रशासन और सतर्कता का कार्य सौंपा गया है। यह चौंपियंस डेस्कध्सीपीग्राम के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य भी देखता है तथा बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सीएलसीएस–टीयू स्कीम सहित एमएसएमई की शिकायतों का निपटान भी करता है। एएफआई प्रभाग बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे रैम्प और यूएनआईडीओ कार्यक्रम, वित्तपोषण सहायता और तकनीकी सहायता के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान का भी प्रबंधन करता है। एएफआई प्रभाग में रैम्प अनुभाग विश्व बैंक द्वारा समर्थित नई शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "एमएसएमई कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" (रैम्प) का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्कीमों की पहुंच बढ़ाकर और केंद्र–राज्य सहयोग बढ़ाकर एमएसएमई क्षेत्र में फर्म की क्षमताओं में सुधार करना है। https://msme.gov.in
(iv)	एकीकृत वित्त विंग (आईएफडब्ल्यू)	सुश्री सिमी चौधरी आर्थिक सलाहकार एवं संयुक्त सचिव ea-msme@gov.in टेलीफोन: 011–23063433	आईएफडब्ल्यू मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभागों और डीसी (एमएसएमई) कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता हैरू (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति पर सहमतिय (ii) स्कीमों को जारी रखने के लिए ईएफसीध्एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना और ईएफसीध्एसएफसी बैठकें आयोजित करना। यह वित्तीय निहितार्थ वाले विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रम विंग द्वारा मांगे जाने पर सलाह देता है। यह विंग समझौता ज्ञापन, अन्य समझौतों, अनुबंधों आदि पर हस्ताक्षर करने से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है। https://msme.gov.in

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/ संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
(v)	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और नीति	सुश्री सिमी चौधरी आर्थिक सलाहकार एवं संयुक्त सचिव ea-msme@gov.in टेलीफोन: 011–23063433	एमएसएमई मंत्रालय के लिए नीति बनाना तथा डीबीटी, पीएम गति शक्ति, प्रयास, डिजिटल गवर्नेंस, एनआईसी एवं साइबर सुरक्षा और ई–ऑफिस कार्यान्वयन सहित सभी आईटी से संबंधित कार्य करना। मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए निर्देशों के पूर्ण अनुपालन का समन्वय करना। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप मंत्रालय में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और मंत्रालय के आईटी सेल का प्रबंधन करना इत्यादि हैं। https://msme.gov.in
(vi)	मानव संसाधन, समन्वय और डेटा प्रबंधन (डेटा विश्लेषण सहित)	सुश्री काजल जैन उप महानिदेशक ई–मेलरू ddg-msme@gov.in टेलीफोन: 011–23062241	यह प्रभाग मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षणय समन्वय संबंधी मामलेय एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित डेटा और सांख्यिकी का विश्लेषणय तथा एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान करता है। एमएसएमई डेटाबेस के विकास और रखरखाव के लिए सभी हितधारकों के साथ तकनीकी समन्वय। https://msme.gov.in यह प्रभाग एसएस एंड पीआर स्कीम, आरटीआई, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ई–प्रगति, ई–समीक्षा, आरआरसीपीएस पोर्टल, एवीएएमएस पोर्टल, शी–बॉक्स पोर्टल आदि का कार्य भी करता है।
(vii)	बजट अनुभाग	सुश्री सिम्मी चौधरी आर्थिक सलाहकार एवं संयुक्त सचिव ई–मेलः ea-msme@gov.in	**मंत्रालय का बजट प्रभाग निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है:** (i) विस्तृत अनुदान मांगों (डीडीजी) को तैयार करनाय (ii) विनियोग खाता, मासिक और त्रैमासिक आधार पर बजट के सापेक्ष खर्च की निगरानीय (iii) बजट अनुमान (एसबीई) का विवरणय (iv) स्कीमों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियों को जारी करनाय

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
		टेलीफोन: 011–23063433	(v) संपत्ति रजिस्टर से संबंधित जानकारी का संकलनय (vi) डीडीजी की तैयारी के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ऑब्जेक्ट शीर्षों को खोलना या हटानाय (vii) अनुदान में बचत को जमा करनाय (viii) संशोधित अनुमान (आरई) की तैयारीय (ix) बजट अनुमान (बीई) और अनुदानों की अनुपूरक मांगेंय (x) केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) पोर्टल में डेटा अपलोड करना। अर्थात बजट अनुमान (एसबीई), बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक का विवरणय (xi) अप्रयुक्त शेष राशि की निगरानीय (xiii) स्कीमों के ‬100 करोड़ रुपये की बचत नोट‬ से संबंधित जानकारी का संकलनय (xiv) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, डीएपीएससी, डीएपीएसटी, बजट पूर्व चर्चा बैठक, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति (डीआरपीएससी) जैसी विभिन्न बैठकों की तैयारीय (xv) पृष्ठभूमि नोट (Ûvi). मासिक और त्रैमासिक आधार पर एससीएसपी, टीएएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में स्कीम–वार और वस्तु शीर्ष–वार व्यय की निगरानीय (xvii) सरकारी गारंटी पर निगरानी और रिपोर्ट अग्रेषित करना।
संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ संगठन			
(viii)	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)	विकास आयुक्त कार्यालय (डीसी–एमएसएमई कार्यालय) एमएसएमई को अवसंरचना और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। डीसी–एमएसएमई कार्यालय मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है,

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/ संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
		विकास आयुक्त कार्यालय ए– विंग 7वीं मंजिल, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110108 पीएबीएक्स संख्या –011–23063800	जिसका नेतृत्व एमएसएमई के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एएस एंड डीसी) करते हैं। यह 33 एमएसएमई–विकास और सुविधा कार्यालयों (डीएफओ), 28 शाखा एमएसएमई–विकास और सुविधा कार्यालयों (शाखा डीएफओ), 4 एमएसएमई–परीक्षण केंद्रों (एमएसएमई–टीसी), 7 एमएसएमई–परीक्षण स्टेशनों (एमएसएमई–टीएस) और 2 एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थानों (एमएसएमई–टीआई) के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। डीसी–एमएसएमई कार्यालय 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क भी संचालित करता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं। https://www.dcmsme.gov.in/
(ix)	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	**मुख्यालय:** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ष्ग्रामोदयष, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई, पिन–400056. महाराष्ट्र, भारत. टेलीफोन : (एसटीडी कोड 022) 69168912 / 69168913 / 69168914	केवीआईसी को ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। https://www.kviconline.gov.in/

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
(x)	कयर बोर्ड	कयर हाउस, कयर बोर्ड, एम.जी. रोड, कोच्चि, केरल, 682 016 टेलीफोन : 0484–2351900 फैक्स : 0484–2370034	कयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसमें कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और भारत में इस परंपरागत उद्योग में संलग्न श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करना शामिल है। http://coirboard-gov-in/
(xi)	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020, फोनरू 011–26926275, 011–26926370	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई के अंतर्गत एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित भारत सरकार का उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। एनएसआईसी देश भर में कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके अलावा,एनएसआईसी ने पेशेवर जनशक्ति द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण सह ऊष्मायन केंद्र स्थापित किया है।एनएसआईसी का विजन ष्देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन बननाष है। https://www.nsic.co.in/Home/Index

क्र. सं.	एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रभाग/संगठन	प्रभाग प्रमुख एवं संपर्क	कवरेज/क्रियाकलाप
(xii)	निम्समे	राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (निम्समे) यूसुफगुडा 500 045, हैदराबाद, तेलंगाना टेलीफोन: 40–23633260 ई–मेल: info@nimsme.org ar@nimsme.org	निम्समे का प्राथमिक उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षक बनना है। आज, तकनीकी विकास और निरंतर बदलते बाजार परिदृश्य के साथ, संगठन की भागीदारी में भी बदलाव आया है। केवल प्रशिक्षण से आगे बढ़कर, निम्समे ने अपने क्रियाकलापों का दायरा परामर्श, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और सूचना सेवाओं तक बढ़ा दिया है। *https://www.nimsme.gov.in/*
(xiii)	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान,	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान मगनवाड़ी, वर्धा, महाराष्ट्र – 442 001 0752–240328 ईमेल: director.mgiri@ gmail.com	संस्थान का मुख्य उद्देश्य (i) स्थायी ग्राम अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण में तेजी लाना ताकि केवीआई क्षेत्र मुख्य धारा के साथ सह–अस्तित्व में रहे (ii) ग्राम स्वराज के लिए पेशेवरों और विशेषज्ञों को आकर्षित करना, (iii) परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना, (iv) प्रायोगिक अध्ययनक्षेत्र परीक्षणों के माध्यम से नवाचार, (v) स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास इत्यादि है। www.mgiri.org

5. नागरिकों के लिए मुख्य सेवाएं

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
1.	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच	स्फूर्ति को वर्ष 2005 में परंपरागत उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी, बाजार–उन्मुखी, उत्पादक, लाभप्रद बनाने तथा परंपरागत उद्योगों के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत् रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।	60	श्री अरुण जी संयुक्त निदेशक एआरआई प्रभाग ईमेल: arun.g@gov.in दूरभाष: 011–21410238
2.	'नवपरिवर्तन, उद्यमिता और कृषि–उद्योग संवर्धन स्कीम' (एस्पायर) के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच	एस्पायर प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने और उद्यमिता संवर्धन हेतु इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने तथा कृषि उद्योग में नवपरिवर्तन हेतु स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करता है।	90	
3.	पीएमईजीपी के संबंध में केवीआईसी को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण–संबद्ध अनुदान सहायता स्कीम है जिसका उद्देश्य गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों द्वारा रोजगार सृजन करना है। यह उन लाभार्थियों को मार्जिन मनी (अनुदान सहायता) प्रदान करता है जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं, जिससे देश में उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों का संवर्धन होता है। इस स्कीम को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआ.ईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।	45	

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
4.	स्फूर्ति और एस्पायर के अंतर्गत निधियां जारी करना तथा पीएमईजीपी के अंतर्गत केवीआईसी को निधियां जारी करना	जैसा कि क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित है	30	
5.	केवीआईसी को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना	केवीवाइ का उद्देश्य खादी कारीगरों की उत्पादकता और वेतन बढ़ाना तथा आजीविका सुरक्षित करना, कारीगरों की संख्या में वृद्धि करना, खादी उत्पादन के लिए आधारभूत अवसंरचना में सुधार करना, खादी उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करना, बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करना तथा विभिन्न स्कीम घटकों के कार्यान्वयन के माध्यम से विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना है जैसे – (i) संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम (आईएसईसी) (iii) खादी कारीगरों के लिए वर्क–शेड स्कीम (iv) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के आधारभूत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता (v) खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके)	55	श्री अशोक कुमार शर्मा निदेशक (एआरआई) एआरआई प्रभाग ईमेलः dir-msme@gov.in दूरभाषः 011–23061636
6.	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केवीआईसी को निधियां जारी करना		30	

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
		(vi) विपणन (प्रदर्शनी) और (vii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) स्कीम		
7.	एमगिरी को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना	ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निरंतरता, स्वरोजगार और सुविधाओं में आत्मनिर्भरता के गांधीवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को सहायता, उन्नयन और वृद्धि प्रदान करना तथा ग्रामीण उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इनपुट प्रदान करना।	55	
8.	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत एमगिरी को निधियां जारी करना		30	
9.	कयर बोर्ड से संबंधित मामला	कयर बोर्ड द्वारा एक सर्वसमावेशी स्कीम 'कयर विकास योजना' (सीवीवाइ) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कयर क्षेत्र के सतत विकास के लिए उत्पादन, स्वरोजगार और निर्यात के साथ–साथ कयर और कयर उत्पादों के घरेलू विपणन का संवर्धन करना है। सर्वसमावेशी स्कीम सीवीवाई में निम्नलिखित छह घटक हैं' 1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. कौशल उन्नयन और महिला कयर स्कीम 3. निर्यात बाजार संवर्धन 4. घरेलू बाजार संवर्धन 5. व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ 6. कल्याणकारी उपाय	35	श्री अरुण जी संयुक्त निदेशक एआरआई प्रभाग ईमेलः **arun.g@gov.in** दूरभाषः 011–21410238
10.	कयर बोर्ड को निधि जारी करना		30	

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता–विक्रेता बैठकों में सहभागिता करने की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए क्षमता सृजित करना है, साथ ही उन्हें कार्रवाई योग्य बाजार– असूचना प्रदान करना और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है। यह स्कीम एमएसएमई को प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, नए बाजारों के उद्‌भव आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अद्यतन (अपडेट) होने के अवसर प्रदान करती है।	60	सुश्री अंकिता पांडे निदेशक (आईसी और डब्ल्यूईसी) ईमेलः ankita.pandey@nic.in दूरभाषः 011–23061795
12.	एनएसआईसी/राष्ट्रीय एससी/एसटी हब स्कीम	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केंद्र सरकार की लोक प्रापण नीति के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यावसायिक प्रणालियों को अपनाने और स्टैंड–अप इंडिया पहल का लाभ उठाने के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करना।	15	श्री एच.के. वाधवा उप सचिव ईमेलः hk.wadhwa दूरभाषः 011–23062736

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
13.	आईईसी/मीडिया सेल		15	सुश्री रुक्मणी अत्री, संयुक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ईमेलः rukmani.attri@gov.in दूरभाषः 011–23061804
14.	डीबीटी एवं डीएटीसी से संबंधित मुद्दे, वार्षिक रिपोर्ट, वेब आधारित डेटा पोर्टलों को अद्यतन करना, आईटी से संबंधित मामले और आरटीआई मामले।		60	श्री एच.पी. सिंह, संयुक्त निदेशक, ईमेलः harendrapratap@dcmsme.gov.in दूरभाषः 011–23061178
15.	उद्यम पंजीकरण एवं संबंधित मामले	कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह स्व–घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दर्ज कर सकता है, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण पत्र या सबूत अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई को एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों जैसे	10	श्री अमित कुमार तामरिया उप निदेशक ईमेलः dcdi-gangtok@dcmsme दूरभाषः 011–23063800

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
		क्रेडिट गारंटी स्कीम, लोक प्रापण नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त बढ़त और संरक्षण का लाभ उठाने में भी सहायता कर सकता है। ६ बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए पात्र बनना।		
16.	एमएसई–सीडीपी के अंतर्गत धनराशि जारी करना	एमएसएमई मंत्रालय क्लस्टरों के विकास के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और नए औद्योगिक क्षेत्रों, संपदाओं और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना या उनके उन्नयन के लिए भारत सरकार (जीओआई) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। एमएसई–सीडीपी एक मांग आधारित स्कीम है और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है।	30	श्री ए.के. तामारिया संयुक्त निदेशक ईमेलः dcdi-gangtok@dcmsme-gov.in विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय 011–23062465 (निदेशक) 011–23062148

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस	संपर्क हेतु अधिकारी
17.	ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत अनुमोदित/चुनिंदा उप–क्षेत्रों उत्पादों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी (अनुदान सहायता)	बिना किसी क्षेत्र–विशिष्ट प्रतिबंध के, संस्थागत वित्त (25 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी, उपकरणों की खरीद के लिए एससी–एसटी स्वामित्व वाले एमएसई को 25: पूंजी अनुदान सहायता (सब्सिडी)।	बजटीय उपबंध की उपलब्धता के अध्यधीन 90 दिन।	निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय दूरभाषः 011–23062148
18.	डीसी (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा एमएसएमई– टूल रूम/प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों को धनराशि (अनुदान सहायता) जारी करना	मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों के सफल कामकाज को देखते हुए और देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र) के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के उद्देश्य से	30 दिन	मो. अली रहमान, संयुक्त निदेशक विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय ईमेलः rahmanmali@dcmsme.gov.in
19.	ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी – प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस–टीयूएस) स्कीमों (आईपीआर, जेड, लीन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन और इनक्यूबेशन) के अंतर्गत प्रस्तावों का अनुमोदन	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अपव्यय में कमी, डिजाइन सुधार के लिए सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता उत्पन्न करना, शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेड) स्कीम, डिजिटल एमएसएमई के माध्यम से एमएसएमई का डिजिटल सशक्तिकरण और व्यक्ति की	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता उत्पन्न करना पेटेंटध्जीआ. ईध्ट्रेडमार्क की प्रतिपूर्ति (अनुमोदन के बाद) — 90 दिन (एमएसएमई द्वारा पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के अधीन)	श्री विनम्र मिश्रा निदेशक ईमेलः vinamra.mishra@gov.in दूरभाषः 011–23063198

क्र. सं.	स्कीमें/कार्यक्रम	स्कीम का संक्षिप्त परिचय	हमारी सेवा के मानक दिवस		संपर्क हेतु अधिकारी
		अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और सहायता करना और पूरे भारत में इनक्यूबेशन के माध्यम से विनिर्माण के साथ–साथ ज्ञान आधारित नवाचार एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना।	**लीन मैन्युफैक. चरिंगरू** 1. मिनी क्लस्ट. रों को सैद्धांतिक अनुमोदन।	60	
			2. एसपीवी का अनुमोदन	90	
			एमएसएमई क्षेत्र में वि. निर्माण के लिए डिजा. इन विशेष. ज्ञतारू 1. कार्यान्वयन एजेंसियों द्व ारा परियोजना मूल्यांकन पैनल स्तर पर डिजाइनध्छात्र परियोजनाओं का सैद्धांतिक अनुमोदन	60	
			2. परियोजना निगरानी और सलाहकार समि. ति में डिजाइन परियोजनाओं का अनुमोदन। प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए मेजबान संस्थानों (एचआई) के रूप में कार्यान्वयन एजेंसियों के सभी मामलों में पूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन।	90	

6. **(I) शिकायत एवं आरटीआई तंत्र: –**

	नोडल अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
शिकायत निवारण के लिए	श्री एच. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011। फोनरू 011–23061178। ईमेल: harendrapratap@ dcmsme-gov-in	श्री अतीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (एएफआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली– 110011। फोन: 011–23062081 ईमेल आईडी: js.afi.msme@gov.in
आरटीआई के लिए	सुश्री किमजलम कार्थक, अवर सचिव, नोडल सीपीआईओ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली दृ 110011 दूरभाष: 23062746य ईमेल: kimjalam-k@gov-in	श्री एच. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011। फोन: 011–23061178। ईमेल: harendrapratap@ dcmsme-gov-in

(II) शीघ्र शिकायत निवारण (विषय विशिष्ट):–

विषय – वस्तु	नाम और पदनाम अधिकारी	संपर्क नं.	ई–मेल
केवीआई–1 एवं 2/ एमजीआईआरआई	श्री अशोक कुमार शर्मा, निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय	011-23061636	dir-msme@gov.in
रैम्प/चौंपियन्स/ स्कीम/सामान्य प्रशासन/प्रोटोकॉल	श्री विनम्र मिश्रा निदेशक	011-23061431	vinamra.mishra@gov.in

विषय – वस्तु	नाम और पदनाम अधिकारी	संपर्क नं.	ई–मेल
स्फूर्ति/एस्पायर/ कॉयर बोर्ड/ पीएमईजीपी	श्री अरुण जी, संयुक्त निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय	011-21410238	arun.g@gov.in
एचआर/डब्ल्यूईसी	सुश्री सी. वी. शारदा उप सचिव	011-23063290	vs.chikkala@nic.in
एसएमई/ईडीआई	श्री एच. के. वाधवा उप सचिव	011-23062736	hk.wadhwa@nic.in
डीबीटी/डीएटीसी	श्री एच. पी. सिंह संयुक्त निदेशक	011-23061178	harendraprat-ap@dcmsme.gov.in

आवेदक नोडल शिकायत अधिकारी से प्रत्येक बुधवार को सुबह 10रू00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच मिल सकते हैं। पूर्व सूचना की अत्यधिक सराहना की जाएगी।

(i) आवेदकों से अपेक्षाएँ

- एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित पूर्ण, सटीक और तथ्यात्मक शिकायतों को पीजी पोर्टल पर प्रस्तुत करना।
- कृपया अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दूरभाष फोन नम्बरध्ईमेल आईडी देकर पहचान प्रदान करें।
- गुमनामध्छद्मनाम शिकायत प्रस्तुत करने से बचें।

(ii) शिकायत निवारण प्रक्रिया और समय–सीमा के लिए कृपया https//pgportal.gov.in देखें। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित को निवारण के लिए नहीं लिया जाता हैरू

- आरटीआई मामले
- न्यायालय से संबंधितध्न्यायालय में विचाराधीन मामले
- धार्मिक मामले
- सुझाव

- सरकारी कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि सहित उनकी सेवा से संबंधित शिकायतें, जब तक कि पीड़ित कर्मचारी ने डीओपीटी के दिनांक 31.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/08/2013 – स्था. (ए–III) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित चौनलों का उपयोग न कर लिया हो।

(iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई), 2005 के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के विषय में जानकारी।

- एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठनों (अर्थात् संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सांविधिक निकायों) में आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार आरटीआई कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एमएसएमई मंत्रालय में एक आरटीआईध्पीजी सेल की स्थापना की गई है।
- आवेदक ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in/) के माध्यम से आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं।
- आवेदक आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण https://msme.gov.in/right-information-act?status=karchive लिंक पर भी पा सकते हैं।

'''

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम

उद्यम मंत्रालय